

**चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के  
प्रबन्ध मण्डल की 128वीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

स्थान: कुलपति समिति कक्ष  
च0शे0आजाद कृषि एवं प्रौ0  
विश्वविद्यालय, कानपुर ।

दिनांक: 30.12.2005  
समय : 11.30 पूर्वान्ह

उपस्थिति :

1.	डा0 एम0एम0अग्रवाल कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा0 रमेश यादव, उपाध्यक्ष, उ0प्र0खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
3.	डा0 एस0के0सिंह, निदेशक कृषि	सदस्य
4.	डा0 पी0वी0सिंह, निदेशक, पशुपालन	सदस्य
5.	डा0 मसूद अली, निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	सदस्य
6.	श्री संत बी0एस0यादव	सदस्य
7.	श्रीमती मुन्नी राजपूत	सदस्य
8.	श्री आनन्द कुमार अग्रवाल अर्थ नियंत्रक	सचिव
	अनुपस्थित सदस्य	
1.	प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0शासन	सदस्य
2.	प्रमुख सचिव कृषि, उ0प्र0शासन	सदस्य
3.	सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0शासन	सदस्य

मद सं0 1: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 127वीं बैठक दिनांक 4.7.2005 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

.....  
प्रबन्ध मण्डल ने उक्त बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिया कि मद सं0 4 के अन्तर्गत डा0 अरुण कुमार का मूल पदनाम लिखा जाये ।

आनन्द

मद सं० 2 : चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 127वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

.....  
प्रबन्ध मण्डल की 127वीं बैठक दिनांक 4.7.2005 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए माननीय सदस्य डा० रमेश यादव, उपाध्यक्ष, उ०प्र०खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड ने 13 वैज्ञानिकों/शिक्षकों को कतिपय अवधियों की सेवा निरन्तरता बनाये रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत न करने सम्बन्धी कार्यवाही पर चिन्ता व्यक्त की और निर्देश दिया कि आगामी बैठक में विस्तृत विवरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

मद सं० 3 : विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह के आयोजन पर ताम्र मंजूषा हेतु विश्वविद्यालय के इतिहास का अनुमोदन ।

.....  
विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यों के लिए गठित "शैक्षिक परिषद" की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 में पारित प्रस्ताव के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना के अवलोकन के पश्चात् प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं० 4 : श्री प्रकाश नारायण द्विवेदी, रिक्रियोग्राफिक सहायक केन्द्रीय पुस्तकालय के दिनांक 6.6.2001 से 13.8.2003 (799 दिन) तक अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किये जाने पर विचार ।

.....  
प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री द्विवेदी ने जिस प्रकृति का अवकाश माँगा है और देय हो तो उसकी स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है । शेष अवधि के अवकाश को Break-in-Service माना जाय । प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी चिकित्सीय आधार पर 35 दिनों से अर्जित अवकाश की माँग करता है तो उसे मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

मद सं० 5 : श्री आरिफ इमाम, अवर अभियन्ता, निर्माण विभाग को डिप्लोमा इन्जीनियरिंग का कोर्स पूर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 5.8.2005 द्वारा स्वीकारोपरान्त कोर्स पूर्ण करने हेतु दिनांक 5.8.2005 से 30.4.2006 (269 दिन) का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

.....  
श्री इमाम को कोर्स पूर्ण करने हेतु दिनांक 5.8.2005 से 30.4.2006 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

3/11/05

मद सं० 6: श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे, फील्डमैन, अखिल भारतीय समन्वय बाजरा विकास परियोजना, कलाई (अलीगढ़) के दिनांक 23 व 2.3.2005 का आकस्मिक अवकाश दिनांक 25,26 व 27.3.2005 होली अवकाश, 28 निर्बन्धित अवकाश तथा 20 व 29.3.2005 का पुनः आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 22.3.2005 से मुख्यालय से बाहर जाने की स्वीकृत के परिणामस्वरूप दिनांक 23.3.2005 से 20.6.2005 (90 दिन) के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव।

.....  
श्री दुबे, फील्डमैन, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा विकास परियोजना, कलाई अलीगढ़ को विभिन्न प्रकार के अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने 90 दिन के अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं० 7: डा०(श्रीमती)संगीता गुप्ता, प्रशिक्षण सहायक (पादप रोग विज्ञान विभाग)(सम्बद्ध गृह विज्ञान संकाय) के दिनांक 2.5.2005 से 8.7.2005 (68 दिन) तक का उपार्जित अवकाश अनुमोदन कराये जाने का प्रस्ताव।

.....  
प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डा० (श्रीमती) गुप्ता को 68 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं० 8: डा० संजय सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौध उत्पादन), कृषि ज्ञान केन्द्र, सीतापुर का दिनांक 1.10.2005 से 20.7.2006 तक का और धारणाधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

.....  
प्रबन्ध मण्डल ने डा० सिंह को 1.10.2005 से 20.7.2006 की अवधि का धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं० 9: नवीनतम् स्वीकृत शोध योजनाओं के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन पर विचार।

.....  
प्रस्ताव में उल्लिखित शोध परियोजनाओं को विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रस्ताव अनुमोदित किया।

आनन्द



मद सं० 10: डा० ए०के०सिंह सह निदेशक प्रसार, प्रसार निदेशालय की नियुक्ति जोनल कोऑर्डिनेटर IV के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनके मूल पद पर धारणाधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय में डा० सिंह को उनके मूल पद पर 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं० 11: विश्वविद्यालय के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वश्री पी०के०ठाकुर, सार्टर को 63 दिन, मुन्शीर खॉ, हलवाहा को 118 दिन, पृथ्वीपाल सिंह, प्रयोगशाला परिचर को 69 दिन का अवकाश चिकित्सकीय आधार पर, ओम प्रकाश, माली को 324 दिनों का चिकित्सा अवकाश तथा 241 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं० 12: विश्वविद्यालय के सैनी स्थित शोध प्रक्षेत्र की 1.5 एकड़ भूमि उ०प्र० बीज विकास निगम को स्थानान्तरण के क्रियान्वयन पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए सैनी प्रक्षेत्र की 1.5 एकड़ भूमि उ०प्र० बीज विकास निगम को स्थानान्तरित हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं० 14: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।

14(1) डा० आर०एल०श्रीवास्तव, प्राध्यापक, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन की नियुक्ति परियोजना समन्वयक (लिन सीड) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनके मूल पद पर धारणाधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित प्राविधान के अनुसार 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव अनुमोदित किया और निर्देशित किया कि तदनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाये ।

आनन्द

- 14(2) स्व० श्री आर०ए०गोयल, सेवानिवृत्त, सह प्राध्यापक की चिकित्सा मैसर्स एस्कार्टस हर्टस इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली से कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अग्रिम रु० 1,69,000/- के समायोजन एवं शेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

.....  
प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए रु० 3,045/- की राशि का भुगतान करने और रु० 1,69,000/- का समायोजन करने की स्वीकृति प्रदान की ।

- 14(3) डा० रामाश्रय मिश्रा, प्रोफेसर, आनुवंशकीय एवं पादप प्रजनन विभाग को आदेश सं० सीएसयूई-416/2005 दिनांक 30.9.2005 द्वारा दिनांक 15.9.2005 से किये गये निलम्बन के अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

.....  
प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

- 14(4) माननीय संत श्री बी०एस०यादव, प्रबन्ध परिषद के पत्र द्वारा डा० राजेन्द्र कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक, आनुवंशकीय एवं पादप प्रजनन विभाग के चयन वेतनमान रु० 12000-18300 के संशोधन तिथि के सम्बन्ध में निम्न आख्या अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत ।

.....  
प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्तुत आख्या संज्ञान में ली ।

बैठक के अन्त में चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि संत्रान्त लाभ की अवधि में कोई अतिरिक्त कार्य न लिया जाये ।

आनन्द कुमार भगवाल  
( आनन्द कुमार भगवाल )  
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव  
प्रबन्ध मण्डल